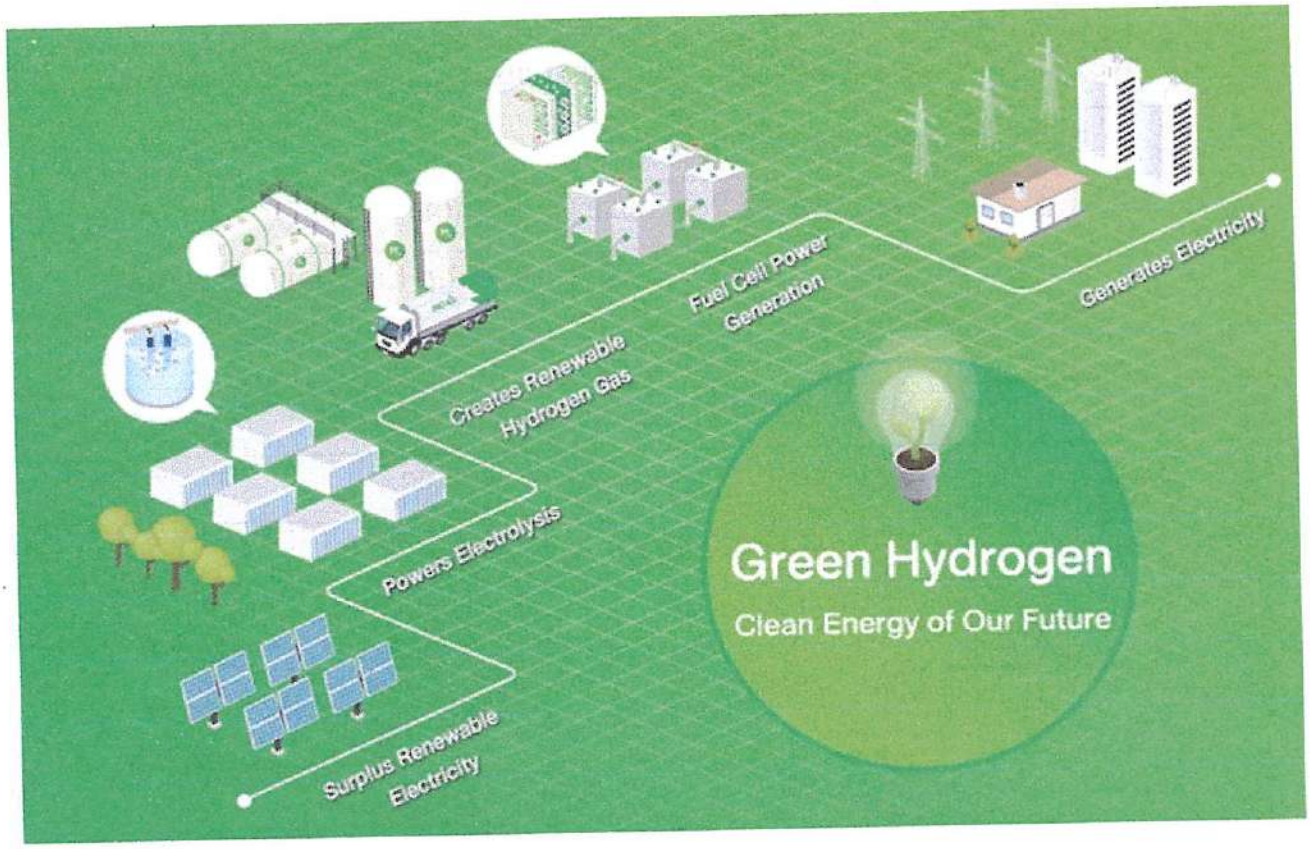
Bihar Green Hydrogen Policy 2026



October 2026

ABBREVIATIONS:

BERC	Bihar Electricity Regulatory Commission
BIA	Bihar Industries Association
BIADA	Bihar Industrial Area Development Authority
BREDA	Bihar Renewable Energy Development Agency
BSPTCL	Bihar State Power Transmission Company Limited
MNRE	Ministry of New and Renewable Energy
MoP	Ministry of Power
NBPDCL	North Bihar Power Distribution Company Limited
RE	Renewable Energy
RPO	Renewable Purchase Obligation
SBPDCL	South Bihar Power Distribution Company Limited
SGST	State Goods and Services Tax
SLEC	State Level Empowered Committee
SLSC	State Level Screening Committee
STU	State Transmission Utility

Government of Bihar

Energy Department

Resolution

No. 04 **/Patna, Dated:** 08.10.2026

Sub: Bihar Green Hydrogen Policy 2026

1. Preamble

The Government of India released the National Green Hydrogen Mission (NGHM) in January 2023. The Mission aims to accelerate the adoption of Green Hydrogen to decarbonize hard-to-abate sectors and enhance energy security and reduce dependence on oil and gas imports. Under the NGHM, India has an ambition to achieve five million Metric Tonnes Per Annum (MMTPA) of Green Hydrogen (GH) production by 2030. Green Hydrogen will also be an important means to increase penetration of Renewable Energy (RE) and allow more RE use in industries by substituting fuel and feedstock with Green Hydrogen and its derivatives.

According to the Union Government's goal of "Energy Independence" by 2047, 50% of the electricity demand of India will have to be met by renewable energy by 2030, reduce the total projected carbon emissions by 1 billion tonnes from current level till 2030, reduce the emission intensity of the GDP by 45% by 2030 from 2005 level and achieve net-zero by 2070.

Growing concerns about global warming and climate change require emphasis on clean and green energy. The Government of Bihar recognizes the current and potential impacts of climate change and is committed to encourage the promotion of clean energy sources. Green hydrogen being a clean and industrial fuel will prove helpful in achieving the goal of Net-Zero target. The State Government in order to encourage, develop,

popularize, and promote Green Hydrogen production plants, hereby notifies the Bihar Green Hydrogen Policy, 2026.

"Bihar Green Hydrogen Policy 2026" prepared by the Government of Bihar shall promote sustainable economic growth and employment in the State while supporting decarbonization and contributing to India's national climate and clean-energy goals. The Policy aims to establish a conducive and favorable ecosystem for the development of a Green Hydrogen and its derivatives economy in Bihar by promoting production and consumption of Green Hydrogen and its derivatives, market creation and demand aggregation, electrolyzer and associated equipment manufacturing, research and innovation, skill development, and development of the necessary infrastructure and value chain.

Through targeted fiscal and non-fiscal incentives, the Policy seeks to facilitate ease of doing business, attract strategic investments, promote technological innovation, develop a skilled workforce and accelerate the adoption of Green Hydrogen across key sectors. The Policy provides a comprehensive incentive framework, with fiscal support of more than ₹1,000 crores towards capital expenditure, production-based and procurement/consumption-based incentives, Battery Energy Storage Systems (BESS) and other measures to attract capital investment in the Green Hydrogen and its derivatives sector.

To facilitate investments and project implementation, a Single Window Clearance mechanism has been provided for time-bound facilitation of project-linked statutory and regulatory approvals and clearances. The Policy also provides for the development of community-level Green Hydrogen Villages on a pilot basis to demonstrate the application of Green Hydrogen in rural areas and promote clean energy, livelihood opportunities and local economic development.

During the policy period, the State aims to achieve a Green Hydrogen production capacity of 0.10 Million Metric Tonnes Per Annum (MMTPA), or 1 lakh tonnes per annum, along with approximately 1 GW of electrolyzer capacity and 2.5 GW of Renewable Energy capacity tagged to Green Hydrogen and its derivatives projects. The Policy further aims to mobilize approximately ₹16,000 crore of investment and generate around 12,000 direct and indirect green jobs, thereby positioning Bihar as a preferred destination for the production, consumption and development of Green Hydrogen and its derivatives.

2. Definitions: -

i. **Effective Date** means the date on which this Policy shall come into effect.

ii. **Effective Period** means the period commencing from the Effective Date and shall remain in force for a period of five (5) years or until a new policy is notified by the State Government.

iii. **Effective Date of commencement of commercial production** means the date on which the industrial undertaking commences commercial production.

iv. **Energy Banking -** means the surplus green energy scheduled and injected into the grid and credited with the distribution licensee by the Green Energy Open Access consumer.

v. **Electrolyzer-** means a system or device that uses electricity to split water molecules into hydrogen and oxygen, thereby producing hydrogen as a sustainable source of clean energy.

vi. **Electrolysis-** means the process of using electricity to split water into hydrogen and oxygen.

vii. **Green Hydrogen-** means hydrogen produced by way of electrolysis of water using Renewable Energy; including banked Renewable Energy or Hydrogen produced from biomass or as notified by MNRE and Central Government from time to time.

viii. **Green Hydrogen Derivatives-** means chemical compounds that are produced using Green Hydrogen and include Green Ammonia/ Green Methanol and any other chemical compound as defined by MNRE, Ministry of Power and Central Authorities from time to time.

In case the end-product is a derivative of Green Hydrogen such as Green Ammonia, incentive shall be made available based on the amount of Green Hydrogen (in kg) utilized to produce the given amount of the derivative.

The following equivalence factor would be applicable for Green Ammonia:

Derivative	Equivalent amount of Green Hydrogen
Green Ammonia	0.1765 kg Green Hydrogen per kg of Green Ammonia

In case of any other derivative, the equivalence factor as declared by the MNRE shall be applicable.

ix. **Green Hydrogen Certification Scheme of India (GHCI)-** The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has issued a certification scheme called "Green Hydrogen Certification Scheme of India" dated 29th April 2025.

x. **Grey Hydrogen-** Hydrogen produced from natural gas or methane using steam methane reformation or auto-thermal reformation is

called Grey Hydrogen. The Greenhouse gases produced in this process are not captured.

xi. **Green Hydrogen Hub**- "Green Hydrogen Hub" is a geographical area where large scale production and/or utilization of Hydrogen exists within the identified region. Such hubs will be planned in an integrated manner to allow pooling of resources and achievement of scale along with development of associated infrastructure to support it.

xii. **Renewable Energy Sources** means renewable sources such as Mini Hydro, Micro Hydro, Small Hydro, Wind, Solar, Biomass, and such other sources as recognized or approved by MNRE and Central Government. This will also include energy from pumped hydro storage plants (PSP) or Battery Energy Storage Systems (BESS) charged from Renewable Energy sources only.

xiii. **Water Treatment**- A process of purifying and conditioning the water to meet the specific quality standards required for electrolysis.

3. Policy Overview

3.1 Title and operative period

This policy shall be known as the **'Bihar Green Hydrogen Policy 2026'** (Hereinafter 'Policy'). It shall remain in force for a period of five (5) years from the effective date or until the State Government notifies a new policy.

3.2 Scope

The policy shall promote production, consumption, market creation, electrolyzer manufacturing and other components of the Green Hydrogen and its derivatives value chain. Green Hydrogen has immense

potential for consumption in sectors like nitrogenous fertilizers, chemicals, refineries, heavy vehicles, energy storage, iron and steel, city gas distribution (CGD), glass manufacturing, and allied activities. In the direction of Green Hydrogen economy in Bihar, the initial emphasis will be given on the use of hydrogen in nitrogenous fertilizer and refinery industries of the State. Subsequently, the policy will cover applications of Green Hydrogen in other emerging industries in line with the National Green Hydrogen Mission of the Government of India.

4. Vision and Objectives

4.1 To promote market creation for Green Hydrogen and its derivatives through fiscal and non-fiscal incentives, facilitate ease of doing business and attract investment for establishing production facilities for Green Hydrogen and its derivatives, electrolyzer manufacturing facilities and Green Hydrogen based product manufacturing units.

4.2 To encourage research, development, and innovation in electrolyzer manufacturing and Green Hydrogen and its derivatives technologies to improve efficiency and reduce the cost of production and utilization of Green Hydrogen and its derivatives.

4.3 To pursue the development of pipeline network, renewable energy capacity and other related infrastructure in the Green Hydrogen and its derivatives value chain to promote creation of new production units and hydrogen hubs.

4.4 To develop a skilled workforce for Green Hydrogen and its derivatives industries and to create employment opportunities through skill development programs.

4.5 To drive sustainable economic growth, enhance energy security, enable the production, consumption and export of Green Hydrogen and its derivatives.

5. Goal

The production capacity of 0.10 million Metric Tonnes Per Annum (MMTPA) or 1 Lakh Tonnes per annum of Green Hydrogen is targeted by 2031. To achieve the goals of this policy, the following have been envisaged:

i. To achieve approximately 1 GW of electrolyzer capacity and 2.5 GW of Renewable Energy capacity tagged with Green Hydrogen and its derivatives projects.

ii. To attract investments of approximately ₹16,000 crore, generate 12,000 direct and indirect green jobs and strengthen the State economy.

iii. The State shall promote production of Green Hydrogen and its derivatives, Electrolyzer manufacturing, consumption of Green Hydrogen and its derivatives in the State and develop industrial infrastructure for the ecosystem.

iv. To make Bihar the preferred destination for production and export of Green Hydrogen and its derivatives.

6. Improving Ease of Doing Business

The Government of Bihar has taken initiatives to facilitate investments and businesses in the State. These initiatives range from simplifying processes to regulatory reforms for ease of doing business.

Single Window Clearance system shall be provided to facilitate the setup and seamless expansion of new and existing Green Hydrogen and

its derivative projects along with fast-track approvals and clearances related to environmental, industrial, grid integration, open access, transportation, storage and all other project-linked statutory and regulatory clearances.

The State Government will prepare data on availability of land bank and water and will help potential investors in providing land, water, and power transmission systems as per the prevailing State Government policy.

7. Development of Green Hydrogen Ecosystem

7.1 Infrastructure for the entire value chain will be strengthened for the development of Green Hydrogen ecosystem. Under this policy, development of clusters/hubs for Green Hydrogen and its derivatives shall be encouraged with promotion of production around the consumption centers besides providing cooperation in its implementation as per the guidelines of the Government of India. Development of adequate infrastructure and pipeline networks shall be encouraged.

7.2 To demonstrate the viability and scalability of Green Hydrogen as a sustainable energy solution at the community level, the State shall facilitate the development of up to five (05) **Green Hydrogen Villages** on a pilot basis. Each Green Hydrogen Village shall comprise a cluster of 100–500 households located within a contiguous habitation. The initiative shall aim to establish an integrated Green Hydrogen ecosystem encompassing clean cooking, electricity generation and livelihood promotion, thereby promoting the adoption of Green Hydrogen within the rural economy.

7.3 For implementation of the Green Hydrogen Village Initiative, pilot villages shall be selected based on the willingness of the Gram Panchayat/ local community, proximity to a water source (treated wastewater/ river/ canal/ pond) along with the existing or proposed solar/RE installation in the vicinity of the village. An incentive of up to ₹1 crore per village shall be provided for implementation of Green Hydrogen Village Initiative.

8. Capacity Building and Research & Development (R&D)

8.1 The State shall facilitate skilling, upskilling and reskilling of the workforce to bridge the skill gap and create a better employable workforce across the Green Hydrogen ecosystem.

8.2 The nodal agency shall coordinate with the Skill Development department of the State, and an incentive of ₹ 10 crore shall be provided for development of dedicated skill development programs/courses in the Industrial Training Institutes (ITIs), Polytechnics and other state recognized skill development centers.

8.3 Research and Development shall be promoted in the field of electrolyzer manufacturing, system efficiency, storage and transportation of Green Hydrogen. An incentive of ₹ 10 crore shall be provided to the institutions of national importance and/or other institutions under the Department of Science, Technology and Technical Education for facilitating research and development and/or establishment of Center of Excellence (CoE) across the Green Hydrogen value chain.

8.4 Startups engaged in the production of Green Hydrogen and its derivatives or in the manufacturing of electrolyzers in Bihar shall

be encouraged and shall be eligible for incentives as per Bihar Startup Policy, 2022 and its amendments thereof.

9. BREDA as Nodal Agency

Bihar Renewable Energy Development Agency (BREDA) shall act as nodal agency for the implementation of this policy. The Nodal Agency shall facilitate the fulfilment of the objectives of this policy, implementation of schemes and provision of assistance to project developers. BREDA shall be responsible for the following activities in relation to the setting up of Green Hydrogen project within the State:

9.1 Registration of Green Hydrogen and its derivatives projects within the State.

9.2 Registration of Renewable Energy projects within the State tagged to Green Hydrogen and its derivatives projects.

9.3 Evaluation of applications of Green Hydrogen and its derivatives projects along with the tagged Renewable Energy projects within the State.

9.4 To promote the development of Green Hydrogen Hub within the State, identify suitable villages for transformation into Green Hydrogen Villages, and facilitate planning as well as the allocation of government land, through the concerned State authorities.

9.5 Facilitate the planning and allotment of water resources through relevant State authorities.

9.6 Facilitate R&D and pilots related to Green Hydrogen, and collaboration for knowledge transfer.

9.7 BREDA shall facilitate demand aggregation for Green Hydrogen and its derivatives and substitution of existing grey hydrogen

with certified Green Hydrogen particularly in the sectors having existing hydrogen consumption such as fertilizer and refinery industries.

10. Eligibility for Green Hydrogen and its derivatives projects

10.1 Eligible Entities: Any company, body corporate, association or body of individuals, whether incorporated, government or juridical entity shall be eligible for setting up of Green Hydrogen and its derivative projects under this Policy and will be considered as a project developer.

10.2 Green Hydrogen and its derivatives projects set up within the State boundary shall be eligible for availing benefits under this policy, if complying with the following conditions:

10.2.1 All the Green Hydrogen and its derivatives projects shall be registered and approved during the policy period.

10.2.2 Projects shall involve the installation of new plants and machinery.

11. Application Process

11.1 Submission of a proposal for project development:

BREDA shall be the single point contact for inviting proposals for the development of all Green Hydrogen and its derivatives projects. The eligible developers shall submit their proposal with all the necessary documents through single-window portal, to avail the benefits under this policy. Proposals may also be submitted offline to BREDA office. The required documents for submission of proposal and availing of the benefits under this policy are as follows:

i. Detailed Project Report of the project
ii. Firm's Registration Certificate
iii. PAN card and GST certificate
iv. Tax Return of at least one financial year.
v. Audited Balance Sheet for at least one financial year, if applicable.
vi. Startup India Recognition certificate/ Udyam Certificate/NSIC Certificate/ Certificate issued by the concerned Industry Department for involvement in related business.

11.2. Application Charges:

BREDA shall charge the following application processing fee-

S. No.	Electrolyzer Capacity	Processing Fee
1	Up to 10 kW	₹1000/-
2	>10 kW & up to 100 kW	₹2000/-
3	>100 kW & up to 500 kW	₹5000/-
4	>500 kW & up to 1 MW	₹10,000/-
5	Above 1 MW	₹50,000/- per MW, maximum ₹5 lakh per proposal

12. Land Availability

The State Government will aid the developers in providing land. Government land shall be made available as per the existing State Government policy. This land shall be non-transferable. If the land is not used for establishment of Green Hydrogen and its derivatives

projects within a period of 06 (Six) months from the date of allotment, i.e., if work does not start, a review shall be done at the State Level Empowered Committee and if the committee recommends to return the land upon unsatisfactory progress of work, the land shall be returned to the State Government mandatorily.

13. Availability of Water

The developer shall assess the amount of water required for the proposed project and inform the Department of the estimated details of water consumption and the proposed source of water. Based on such submission, Water Resources Department / Minor Water Resources Department shall assess the availability of water, feasibility of water allocation and based on water availability, may facilitate allocation of water to Green Hydrogen and its derivatives projects from the nearby available water sources after location-specific assessment of sustainable water availability without adversely affecting existing priority water requirements and as per the applicable rules, regulations and guidelines. In case treated wastewater is proposed to be utilized for production of Green Hydrogen and its derivatives, such allocation may be given on priority basis. Withdrawal of water from rivers, reservoirs, barrages, canals, or any other source under the control of the Water Resources Department/ Minor Water Resources Department shall require prior No Objection Certificate (NOC) from the Water Resources Department/ Minor Water Resource Department. Water charges for withdrawal of water from the water sources under the control of the Water Resources Department shall be recoverable as per Government norms in force from time to time. Further, where fresh ground water is required the project site shall be selected only in those

Blocks/Assessment Units which come under "Safe" category as per the latest Dynamic Ground Water Resources Assessment Report of Central Ground Water Board (CGWB).

The cost of construction of water supply infrastructure from the water source to the project site, its maintenance and associated cost shall be borne solely by the developer.

14. Incentives

14.1 Electrolysis based Green Hydrogen and its derivatives projects:

14.1.1 Reimbursement of up to 20% capital expenditure on procurement of Electrolyzer Stack, including but not limited to Rectifier and Transformer required for AC to DC conversion, equipment required for demineralization/ deionization of water, Hydrogen and Oxygen purification, compression, purchased for the production of Green Hydrogen and its derivatives, subject to a maximum of ₹1 Crore/MW proportionate to the Electrolyzer capacity.

14.1.2 The production units with an Electrolyzer capacity of up to 50 MW at a single location shall be eligible for the benefits for reimbursement on capital expenditure, subject to an overall cap of first 200 MW of Electrolyzer capacity within the effective period of this policy in the State.

14.1.3 Maximum incentive that can be availed by a single beneficiary shall be limited to 50 MW of Electrolyzer capacity.

14.2 Biomass Based Projects:

14.2.1 Reimbursement of 20% capital expenditure on procurement of equipment for production of Green Hydrogen through

biomass, including but not limited to Pre-treatment unit, Gasification Unit, Syngas Cleanup and Conditioning Unit, Hydrogen purification and compression equipment, subject to a maximum of ₹1 lakh per tonne per annum, proportionate to the Green Hydrogen Production capacity, up to a maximum capacity of 5 tonnes per annum production of Green Hydrogen from a single unit at a single location and maximum 5 such Biomass-based Green Hydrogen projects within the effective period of this policy in the State.

14.2.2 Maximum incentive that can be availed by a single beneficiary shall be limited to five tonnes per annum of Green Hydrogen production.

14.3 The reimbursement of capital expenditure shall be disbursed in four phases: first 25% upon installation of components eligible for incentive against capital expenditure, second 25% upon final commissioning of the Green Hydrogen and its derivatives plant and commencement of commercial production, third 25% upon achievement of 80% of the annual contracted Green Hydrogen and its derivatives production during the first year of commercial operation, and final 25% upon achievement of 90% of the annual contracted Green Hydrogen and its derivatives production during the second year of commercial operation. All claims related to the reimbursement of capital expenditure will be processed within 15 days of submission of documents in complete manner and its verification.

14.4 Production based incentive:

All eligible Green Hydrogen producers shall be entitled to a reimbursement of ₹10 per kg of Green Hydrogen produced for a period of five (5) years from the date of successful commercial operation, subject to a maximum incentive of ₹150 Crore. The production unit must start the commercial operation within the effective period of this policy. Further, maximum incentive that can be availed by a single producer shall be ₹35 Crore.

14.5 Procurement based incentive:

Reimbursement of ₹50 per kg on the procurement cost of Green Hydrogen shall be provided for 5 years from the date of first procurement to industries (registered under GST Authority in the State of Bihar), including City Gas Distribution operators on the procurement of Green Hydrogen from producers producing Green Hydrogen from operational production units located in the State of Bihar, subject to a cap of ₹300 Crores per beneficiary and an overall cap of ₹450 Crores. The first procurement should be within the effective period of this policy. Reimbursement shall be disbursed on an annual basis upon submission of valid procurement documents.

14.6 Reimbursement of 20% capital expenditure subject to a cap of ₹20 Lakh/MWh of BESS projects integrated with Green Hydrogen projects up to a maximum BESS capacity of 4.5MWh per MW of Electrolyzer capacity. The total outlay for this incentive is capped at ₹180 Cr. Maximum incentive that can be availed by a single beneficiary shall be limited to 50 MW of Electrolyzer capacity and capped at first 200 MW of Electrolyzer capacity within the effective period of this policy in the State.

14.7 Reimbursement of 10% capital expenditure up to ₹ 1 crore per refueling station will be provided for the first 10 Green Hydrogen refueling stations during the effective period of the policy.

14.8 Reimbursement of 10% capital expenditure up to ₹ 20 lakhs per vehicle will be provided for the purchase of first one hundred Green Hydrogen based passenger buses during the effective period of the policy.

14.9 Reimbursement of 10% capital expenditure up to ₹ 20 lakhs per vehicle will be provided for the purchase of first 25 Green Hydrogen based On-road and Off-road heavy-duty vehicles during the effective period of the policy.

14.10 Following Incentives shall be provided to the Green Hydrogen and its derivatives projects & tagged RE Projects in the State, as per Bihar Policy for Promotion of New and Renewable Energy Sources 2025:

14.10.1 Open Access:

Intra-State open access clearance will be given to the RE projects commissioned in the State tagged with Green Hydrogen and its derivatives projects in the State. Open access will be granted to the RE projects within 30 days of submission of application in complete manner to DISCOM/Transmission Utility.

14.10.2 Transmission and Wheeling Charges:

Exemption of 100% on transmission and wheeling charges on intra-State transmission for RE projects/ Captive RE Projects developed in the State for power consumption in Green Hydrogen and its derivatives production units in the State for a period of 15 years after commencement of commercial

production of Green Hydrogen and its derivatives. Transmission and distribution losses will be applicable in line with BERC regulations as amended from time to time.

14.10.3 STU Charges:

Exemption on STU charges will be provided to Green Hydrogen and its derivatives producers which are captive or open access consumers on consumption of power from RE projects commissioned in the State during the operative period of Bihar Policy for Promotion of New & Renewable Energy Sources 2025 in line with BERC regulations as amended from time to time.

14.10.4. Banking Charges:

Banking of 100% RE will be permitted for all Green Hydrogen and its derivatives producers which are captive/Open access consumers during all 12 months of the year. Banking charges and other clauses will be applicable in line with BERC regulations as amended from time to time.

14.10.5 Electricity Duty:

100% reimbursement of electricity duty will be provided to Green Hydrogen and its derivatives producers after commencement of commercial production within this policy period on consumption of power from RE projects commissioned in the State for a period of 15 years.

14.10.6 Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge:

Cross Subsidy Surcharge and Additional Surcharge will be as per relevant BERC regulations in case RE power is being consumed from captive/ RE projects developed in the State for production of Green Hydrogen and its derivatives.

14.10.7 State Goods and Services Tax:

100% reimbursement from the payment of SGST for all the materials required for development of Green Hydrogen and its derivatives projects by the Commercial Tax Department for a period of 5 years. The applicable amount will be reimbursed from the department as per GST council recommendation.

14.10.8 Stamp Duty:

100% reimbursement of Stamp Duty/ Registration fees levied on lease/sale/transfer/ of industrial land/shed as also those outside the jurisdiction of Bihar Industrial Area Development Authority would be available to all the new units after the unit commences commercial production. This reimbursement of stamp duty and registration fees will be granted only for the first time and will not be applicable in subsequent stages of lease/sale/transfer. This incentive will be available to new units only as per Indian Stamp Act, 1899 under section 9(1) & under section 78 of Registration Act, 1908 in State Gazette. If any existing unit goes for expansion, then it will be treated as a new unit only for setting up additional Green Hydrogen and its derivatives plant.

14.10.9. Land Conversion Charges:

100% reimbursement of land conversion fees/ change in land use fees being levied for conversion of agricultural land after the unit commences the commercial production as per Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agricultural Purpose) act 2010.

14.11 Any discrepancy, misrepresentation, or non-compliance identified in the claim and/or project execution shall render the

developer liable for appropriate action, including, but not limited to, recovery of incentives, imposition of penalties or any other action as deemed necessary and appropriate by the competent authority.

14.12 The same eligible expenditure/cost component shall not receive overlapping incentives under two State policies, except where specifically permitted.

15. Incentives for Electrolyzer and Equipment Manufacturing

Manufacturers of Electrolyzer and other Equipment (as applicable), establishing manufacturing facilities in Bihar for production of Green Hydrogen, shall avail the incentives as per the provisions of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, Bihar Industrial Investment Promotion Package, 2025 and other State Government policies and amendments thereof.

16. Regulatory Provisions:

16.1 Green Hydrogen producers shall have to submit Detailed Project Reports along with a declaration of the applicable pollution index/category. Based on such classification and in accordance with the notifications and guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Govt. of India, the grant of Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) shall be issued by the competent authority, subject to compliance with all prescribed environmental norms and statutory requirements.

16.2 As per the Green Hydrogen Policy notified by the Ministry of Power, Govt. of India on 17th Feb 2022, Renewable Energy

consumed to produce Green Hydrogen, and its derivatives shall count towards RPO compliance of the producers. The Renewable energy consumed beyond the obligation of producer shall count towards RPO compliance of the DISCOMs in whose area the project is located.

16.3 All Green Hydrogen producers shall have to obtain certificate as per Green Hydrogen Certification Scheme of India dated 29th April, 2025 of MNRE, Govt. of India and its amendments thereof.

16.4 All Green Hydrogen and its derivatives producers shall adhere to the safety standards prescribed for production, storage facilities, transportation infrastructure, pipelines, pressure vessels, and other related activities associated with Green Hydrogen and its derivatives.

16.5 BREDA will frame rules, guidelines and lay down detailed procedures for implementation of the policy after getting the same duly approved by the State Government.

17. Implementation mechanism for sanction and disbursement of incentives

17.1. BREDA shall assist in the processing of applications for the development of Green Hydrogen and its derivatives projects.

17.2. An Evaluation Committee shall be constituted under the chairmanship of Director, BREDA for evaluation of applications received from the developers.

17.3. The concerned committees constituted under this policy shall approve the proposals, sanction the reimbursement of incentives, approve any modifications relating to the date of commencement of commercial operation, where justified and supported by

documentary evidence and also decide upon any other matter pertaining to projects during the effective period of this policy.

18. State Level Empowered Committee and Responsibilities

Under the chairmanship of the Chief Secretary, Govt. of Bihar, a State Level Empowered Committee shall be constituted:

18.1 To resolve key bottlenecks in the implementation of this policy and address inter-departmental issues that may arise from time to time and to take any strategic decision.

18.2 For monitoring and evaluation of all the activities under Bihar Green Hydrogen Policy 2026. The SLEC will meet half-yearly to monitor the progress, to take decisions in case of any ambiguity, dispute, difference or issue in implementation of the policy. BREDA will submit the progress report of all Green Hydrogen and its derivatives projects in the State to SLEC on half-yearly basis.

18.3 In the event that financial incentives allocated under a specific head remain unutilized or under-utilized within the stipulated timeline, the State Level Empowered Committee (SLEC) shall have the authority to reappropriate and deploy such unspent allocations to other eligible incentive heads under this policy, as deemed necessary, to ensure optimal utilization of available funds and effective implementation of the policy.

The State Level Empowered Committee shall consist of the following members:

1	Chief Secretary- Government of Bihar	Chairman
2	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Energy Department	Member & Convener

3	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary Revenue and Land Reforms	Member
4	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Water Resources Department	Member
5	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Science, Technology and Technical Education	Member
6	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Transport Department	Member
7	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Minor Water Resources Department	Member
8	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change	Member
9	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Planning and Development Department	Member
10	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Industries	Member
11	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Finance	Member
12	Executive Director, IOCL Barauni	Member
13	Director, IIT Patna	Member
14	Director, NIT Patna	Member

19. State Level Screening Committee and Responsibilities

19.1 Under the chairmanship of the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Department of Energy, Govt. of Bihar, a State Level Screening Committee shall be constituted.

19.2 Approval:

19.2.1 Proposals of Green Hydrogen and its derivatives projects.

19.2.2 Sanction of reimbursement of capital expenditure-based incentives, incentives related to integrated Battery Energy Storage System, production-based incentive, procurement-based incentive for the Green Hydrogen and its derivatives projects and other incentives as mentioned in the policy.

19.2.3 Proposals for electrolyzer manufacturing units.

19.3 The SLSC will meet at least quarterly to track the progress and take decisions on project approvals and review pendency of all Green Hydrogen projects and the associated RE projects.

19.4 BREDA will submit the progress report on all Green Hydrogen projects and associated RE projects on a quarterly basis.

The State Level Screening Committee shall consist of the following members:

1	Additional Chief Secretary / Principal Secretary/ Secretary, Department of Energy	Chairperson
2	Director, BREDA	Member & convener
3	Managing Director, NBPDCL	Member
4	Managing Director, SBPDCL	Member
5	Managing Director, BSPTCL	Member
6	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Department of Revenue & Land Reforms or their Representative	Member
7	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Science,	Member

	Technology and Technical Education or their Representative	
8	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Transport Department or their Representative	Member
9	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Water Resources Department or their Representative	Member
10	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Minor Water Resources Department or their Representative	Member
11	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change or their Representative	Member
12	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Department of Industries or their Representative	Member
13	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Department of Finance, or their Representative	Member
14	Director, IIT Patna	Member
15	Director, NIT Patna	Member

20. Policy Review and Amendment

The Government of Bihar may undertake a review of this policy and may make necessary amendments as and when the need arises in view of technological breakthroughs, or to remove any difficulties pertaining to the implementation of this policy or any inconsistency that may arise

in the future with any act(s), rules and regulations made thereunder or any other policy by the Government of India or Government of Bihar.

21. In the event of any inconsistency or conflict between the provisions of this policy and the Bihar Policy for Promotion of New & Renewable Energy Sources 2025, the provisions of the Bihar Policy for Promotion of New & Renewable Energy Sources 2025 shall prevail to the extent of such inconsistency.

Order: - Ordered to be publish in the coming extras ordinary issue of Bihar Gazette for information to all.

By the order of Governor of Bihar,

(Ajay Yadav)
Secretary

Memo no.-प्र0 / ऊर्जा ब्रेडा–08 / 2026– 5098 /Patna, dated- 08.10.2026

Copy forwarded to Officer-in-Charge, E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication of Bihar Gazette (through IT Manager, Energy Department, Bihar, Patna). He is requested to kindly provide 100 (One hundred) copies of the published gazette to Energy Department, Bihar, Patna.

Secretary

Memo no.-प्र0 / ऊर्जा ब्रेडा–08 / 2026– 5098 /Patna, dated- 08.10.2026

Copy forwarded to Secretary, Ministry of Power, Government of India, New Delhi/Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, New Delhi for information and necessary action.

Secretary

Memo no.-प्र0 / ऊर्जा ब्रेडा–08 / 2026– 5098 /Patna, dated- 08.10.2026

Copy forwarded to Accountant General (Accounts & Entitlement), Bihar Veerchand Patel Path, Patna for information and necessary action.

Secretary

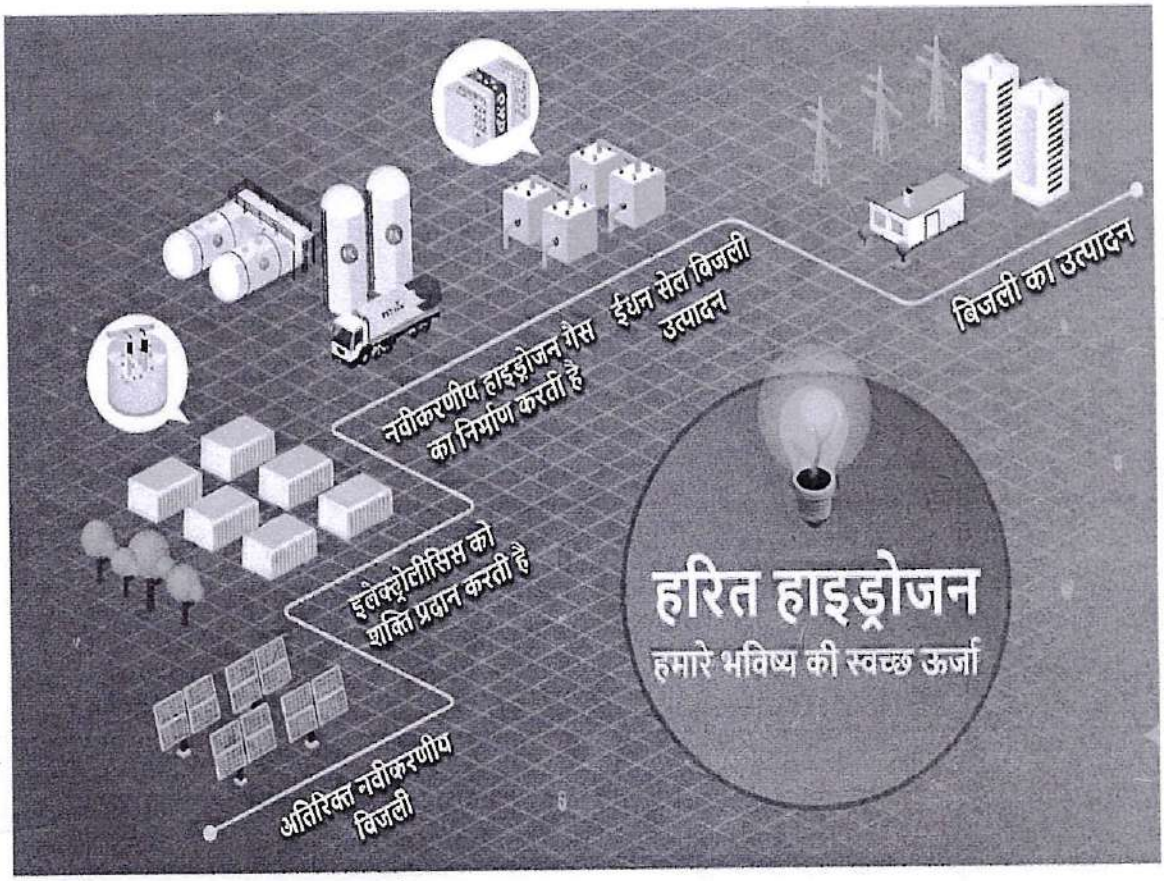
Memo no.-प्र0 / ऊर्जा ब्रेडा–08 / 2026– 5098 /Patna, dated- 08.10.2026

Copy forwarded to Principal Secretary to Governor/Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar/Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, All Departments, Bihar, Patna/Principal Private Secretary to Hon'ble Minister, Energy Department/OSD to Chief Secretary, Bihar/Joint Secretary, Energy Department, Bihar, Patna/Deputy Secretary, Energy Department, Bihar, Patna/ Chairman-cum-Managing Director, Bihar State Power (Holding) Company Ltd., Patna/Managing Director, North Bihar Power Distribution Company Ltd. Patna/Managing Director, South Bihar Power Distribution Company Ltd. Patna/Managing Director, Bihar State Power Transmission Company Ltd. Patna/ Managing Director, Bihar State Power Generation Company Ltd., Patna/ Managing Director, Bihar State Hydroelectric Power Corporation, Patna/Director, BREDA, Patna and IT Manager, Energy Department, Bihar, Patna for information and necessary action.

Secretary

प्रारूप

बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026



संक्षिप्ताक्षर :

बीईआरसी	बिहार विद्युत विनियामक आयोग
बीआईए	बिहार उद्योग संघ
बीआईएडीए (बियाडा)	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
बीआरईडीए (ब्रेडा)	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
बीएसपीटीसीएल	बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एम.ओ.पी	विद्युत मंत्रालय
एनबीपीडीसीएल	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय दायित्व
एसबीपीडीसीएल	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसएलईसी	राज्य स्तरीय सशक्त समिति
एसएलएससी	राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति
एसटीयू	राज्य संचरण उपयोगिता

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

संकल्प

सं0–प्र0 / ऊर्जा ब्रेडा–08 / 2026– 04 / पटना, दिनांक– 08.10.2026

विषयः– बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026

1. प्रस्तावना

भारत सरकार ने जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) जारी किया। इस मिशन का उद्देश्य उन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए हरित हाइड्रोजन को तेजी से अपनाना है जहाँ कार्बन उत्सर्जन को कम करना कठिन है। साथ ही, इससे ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा एवं तेल और गैस के आयात पर निर्भरता कम होगी। एनजीएचएम के अंतर्गत भारत ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा का समावेश बढ़ाने तथा ईंधन और फीडस्टॉक के स्थान पर हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न) का उपयोग कर उद्योगों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

भारत सरकार के वर्ष 2047 तक "ऊर्जा स्वतंत्रता" के लक्ष्य के अनुरूप, वर्ष 2030 तक भारत की विद्युत मांग का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जाना, वर्ष 2030 तक वर्तमान स्तर से कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना, वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करनी तथा वर्ष 2070 तक नेट–जीरो प्राप्त करना है। ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंताओं के कारण स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है। बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन के वर्तमान एवं संभावित प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। हरित हाइड्रोजन, एक स्वच्छ एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण, नेट–जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित, विकसित, एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 अधिसूचित की जाती है।

बिहार सरकार द्वारा तैयार "बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026" राज्य में सतत आर्थिक विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देगी तथा कार्बन मुक्त करने (डीकार्बोनाइजेशन)

का समर्थन करते हुए भारत के राष्ट्रीय जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान करेगी। नीति का उद्देश्य बिहार में हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, बाजार निर्माण एवं मांग का एकत्रीकरण, इलेक्ट्रोलाइजर एवं संबंधित उपकरणों का विनिर्माण, अनुसंधान एवं नवाचार, कौशल विकास तथा आवश्यक अवसंरचना एवं मूल्य श्रृंखला का विकास करना शामिल है।

लक्षित वित्तीय एवं गैर–वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से नीति का उद्देश्य व्यवसाय करने में सुगमता प्रदान करना, निवेश आकर्षित करना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, कुशल कार्यबल विकसित करना तथा प्रमुख क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन को अपनाने की गति तेज करना है। नीति में हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु पूंजीगत–व्यय आधारित, उत्पादन–आधारित तथा खरीद/खपत आधारित प्रोत्साहनों, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) एवं अन्य क्षेत्रों के लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक की राजकोषीय सहायता सहित व्यापक प्रोत्साहन ढांचा प्रदान किया गया है।

निवेश एवं परियोजना क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु परियोजना–संबंधित वैधानिक एवं विनियामक अनुमोदनों/स्वीकृतियों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस (एकल खिड़की मंजूरी) व्यवस्था प्रदान की गई है। नीति में पायलट आधार पर हरित हाइड्रोजन ग्रामों के विकास का भी प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के प्रयोग का प्रदर्शन किया जा सके तथा स्वच्छ ऊर्जा, आजीविका के अवसर एवं स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

नीति अवधि के दौरान राज्य का लक्ष्य 0.10 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष अर्थात 1 लाख टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना है जिसके लिए लगभग 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता तथा हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं के लिए 2.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। नीति का लक्ष्य राज्य में लगभग ₹16,000 करोड़ का निवेश जुटाना तथा लगभग 12,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हरित रोजगार सृजित करना है, जिससे बिहार को हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग एवं विकास के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके।

2. परिभाषाएँ

i **प्रभावी तिथि** से अभिप्रेत है वह तिथि जिस दिन यह नीति जारी होगी।

ii. **प्रभावी अवधि** से अभिप्रेत है प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर पाँच (5) वर्ष की अवधि या राज्य सरकार द्वारा नई नीति अधिसूचित किए जाने तक की अवधि।

iii. **वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की प्रभावी तिथि** से अभिप्रेत है वह तिथि जिस दिन औद्योगिक उपक्रम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करता है।

iv. **ऊर्जा बैंकिंग** से अभिप्रेत है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा ग्रिड में अनुसूचित एवं प्रविष्ट अधिशेष हरित ऊर्जा, जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पास क्रेडिट किया जाता है।

v. **इलेक्ट्रोलाइजर** से ऐसी प्रणाली या उपकरण अभिप्रेत है जो विद्युत का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभाजित करता है और सतत एवं स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उत्पादन करता है।

vi. **इलेक्ट्रोलिसिस** से अभिप्रेत है विद्युत का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभाजित करने की प्रक्रिया।

vii. **हरित हाइड्रोजन:-** नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए, बैंक की गई नवीकरणीय ऊर्जा सहित जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन अथवा बायोमास से उत्पादित हाइड्रोजन या समय–समय पर एम.एन.आर.ई. एवं केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हाइड्रोजन।

viii. **हरित हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स** से अभिप्रेत है हरित हाइड्रोजन का उपयोग करके उत्पादित रासायनिक यौगिक, जिनमें हरित अमोनिया/हरित मेथनॉल तथा एम.एन.आर.ई., विद्युत मंत्रालय एवं केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा समय–समय पर परिभाषित अन्य रासायनिक यौगिक शामिल हैं।

जहाँ अंतिम उत्पाद हरित हाइड्रोजन का डेरिवेटिव, जैसे हरित अमोनिया, है, वहाँ प्रोत्साहन दिए गए डेरिवेटिव की मात्रा के उत्पादन में प्रयुक्त हरित हाइड्रोजन की मात्रा (किलोग्राम) के आधार पर होगा।

डेरिवेटिव	हरित हाइड्रोजन की समतुल्य मात्रा
हरित अमोनिया	प्रति किलोग्राम हरित अमोनिया 0.1765 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन

किसी अन्य डेरिवेटिव के मामले में एम.एन.आर.ई. द्वारा घोषित समतुल्यता कारक लागू होगा।

ix. भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना :- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2025 को भारत की "हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना" नामक एक प्रमाणन योजना जारी की है।

x. ग्रे हाइड्रोजन:– प्राकृतिक गैस या मीथेन से स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग अथवा ऑटो–थर्मल रिफॉर्मिंग द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों को कैप्चर नहीं किया जाता है।

xi. ग्रीन हाइड्रोजन हब:- "ग्रीन हाइड्रोजन हब" एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ चिन्हित क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन का उत्पादन और/या उपयोग होता है। ऐसे हब की योजना एकीकृत तरीके से बनाई जाएगी ताकि संसाधनों का एकत्रीकरण और व्यापक स्तर पर विकास हो सके तथा संबंधित अवसंरचना का भी विकास सुनिश्चित हो सके।

xii. नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत से अभिप्रेत है मिनी हाइड्रो, माइक्रो हाइड्रो, लघु जलविद्युत, पवन, सौर, बायोमास तथा एम.एन.आर.ई. एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित अन्य स्रोत। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से चार्ज किए गए पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज संयंत्र अथवा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से प्राप्त ऊर्जा भी शामिल होगी।

xiii. जल उपचार:- इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आवश्यक विशिष्ट गुणवत्ता मानकों को पूरा करने हेतु जल को शुद्ध एवं अनुकूलित करने की प्रक्रिया।

3. नीति अवलोकन

3.1 नाम एवं परिचालन अवधि

यह नीति "बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026" (इसमें इसके पश्चात् 'नीति') कहलाएगी। यह नीति जारी होने की तिथि से पाँच (5) वर्ष की अवधि तक अथवा राज्य सरकार द्वारा नई नीति अधिसूचित किए जाने तक प्रभावी रहेगी।

3.2 दायरा/क्षेत्र

यह नीति हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स की मूल्य श्रृंखला में उत्पादन, खपत, बाजार निर्माण, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण एवं अन्य घटकों को बढ़ावा देगी। हरित हाइड्रोजन के

नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी, भारी वाहन, ऊर्जा भंडारण, लौह एवं इस्पात, सिटी गैस वितरण (सीजीडी), ग्लास विनिर्माण एवं संबंधित गतिविधियों में व्यापक उपयोग की संभावना है। बिहार में प्रारंभिक चरण में राज्य के नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक एवं रिफाइनरी उद्योगों में हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके उपरांत भारत सरकार के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप अन्य उभरते उद्योगों में भी हरित हाइड्रोजन के अनुप्रयोगों को नीति के दायरे में शामिल किया जाएगा।

4. दृष्टि एवं उद्देश्य

4.1 वित्तीय एवं गैर–वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के लिए बाजार निर्माण को बढ़ावा देना, व्यवसाय सुगमता की सुविधा प्रदान करना और हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण सुविधाओं एवं हरित हाइड्रोजन आधारित उत्पाद विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु निवेश आकर्षित करना।

4.2 इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण तथा हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स की प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान, विकास एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना, ताकि दक्षता में सुधार हो तथा उत्पादन एवं उपयोग की लागत कम हो।

4.3 नई विनिर्माण इकाइयों एवं हाइड्रोजन हब के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता एवं अन्य संबंधित अवसंरचना का विकास करना।

4.4 हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स उद्योगों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल कार्यबल विकसित करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करना।

4.5 सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाना तथा हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, खपत एवं निर्यात को सक्षम बनाना।

5. लक्ष्य

वर्ष 2031 तक 0.10 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष अथवा 1 लाख टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

i. लगभग 1 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता तथा हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं से संबद्ध 2.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।

ii. लगभग `16,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना, 12,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हरित रोजगार सृजित करना तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना।

iii. राज्य में हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण तथा खपत को बढ़ावा देना और औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना।

iv. बिहार को हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन एवं निर्यात के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाना।

6. व्यवसाय करने में सुगमता में सुधार

बिहार सरकार ने राज्य में निवेश एवं कारोबार को सुगम बनाने के लिए पहल की है। इन पहलों में प्रक्रियाओं को सरल बनाना और कारोबार में आसानी के लिए विनियामक सुधार करना शामिल हैं।

नए एवं मौजूदा हरित हाइड्रोजन तथा इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं की स्थापना और सुचारू विस्तार को सुगम बनाने के साथ–साथ पर्यावरण, औद्योगिक, ग्रिड एकीकरण, ओपन एक्सेस, परिवहन, भंडारण तथा अन्य सभी परियोजना–संबंधित वैधानिक एवं विनियामक स्वीकृतियों/ अनुमोदनों के त्वरित निस्तारण हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रणाली प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार भूमि बैंक तथा जल की उपलब्धता संबंधी डेटा तैयार करेगी और राज्य सरकार की नीति के अनुसार संभावित निवेशकों को भूमि, जल तथा विद्युत संचरण प्रणाली उपलब्ध कराने में सहायता करेगी।

7. हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास

7.1 संपूर्ण मूल्य श्रृंखला की अवसंरचना को सुदृढ़ कर हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के क्लस्टर/हब के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा खपत केंद्रों के आसपास उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ–साथ भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार इसके क्रियान्वयन में सहयोग दिया जाएगा। पर्याप्त अवसंरचना एवं पाइपलाइन नेटवर्क के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.2 सामुदायिक स्तर पर सतत ऊर्जा सामाधान के रूप में हरित हाइड्रोजन की व्यवहार्यता एवं विस्तार–क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए राज्य पायलट आधार पर अधिकतम पाँच (05) हरित हाइड्रोजन गाँवों के विकास में सुविधा प्रदान करेगा। प्रत्येक हरित हाइड्रोजन गाँव लगभग 100–500 परिवारों का एक सन्निहित आवासीय समूह होगा। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ खाना पकाने, विद्युत उत्पादन एवं आजीविका संवर्धन को समाहित करने वाला एकीकृत हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भीतर हरित हाइड्रोजन को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा।

7.3 पायलट गाँवों का चयन ग्राम पंचायत/स्थानीय समुदाय की सहमति, जल स्रोत (उपचारित अपशिष्ट जल/नदी/नहर/तालाब) की निकटता तथा गाँव के आसपास विद्यमान या प्रस्तावित सौर/आर.ई. संयंत्र के आधार पर किया जाएगा। हरित हाइड्रोजन ग्राम पहल के कार्यान्वयन के लिए प्रति गाँव अधिकतम ₹1 करोड़ का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

8. क्षमता निर्माण और अनुसंधान एवं विकास

8.1 राज्य द्वारा हरित हाइड्रोजन इको सिस्टम में कौशल अंतर को पाटने और बेहतर रोजगार योग्य कार्यबल तैयार करने के लिए कार्यबल के कौशल विकास, उन्नत कौशल विकास (अप–स्किलिंग) एवं पुनर्कौशल विकास (री–स्किलिंग) की सुविधा प्रदान की जाएगी।

8.2 नोडल एजेंसी राज्य के कौशल विकास विभाग के साथ समन्वय करेगी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0), पॉलिटेक्निक एवं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य कौशल विकास केंद्रों में कौशल विकास कार्यक्रम/पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु ₹10 करोड़ का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

8.3 इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण, प्रणाली दक्षता, हरित हाइड्रोजन के भंडारण एवं परिवहन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और/या विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन अन्य संस्थानों को अनुसंधान एवं विकास तथा/या उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना हेतु ₹10 करोड़ का प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

8.4 बिहार में हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन अथवा इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण में संलग्न स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा वे बिहार स्टार्टअप नीति, 2022 एवं उसके संशोधनों के अनुसार प्रोत्साहनों के पात्र होंगे।

9. नोडल एजेंसी के रूप में ब्रेडा

बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इस नीति के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। नोडल एजेंसी नीति के उद्देश्यों की पूर्ति, योजनाओं के कार्यान्वयन तथा परियोजना विकासकर्ताओं (डेवलपर्स) को सहायता प्रदान करने की सुविधा देगी। ब्रेडा हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगीः–

9.1 राज्य में हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं का रजिस्ट्रीकरण।

9.2 राज्य में हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं से संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का रजिस्ट्रीकरण।

9.3 राज्य के भीतर टैग की गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ–साथ हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं के अनुप्रयोगों का मूल्यांकन।

9.4 राज्य के भीतर हरित हाइड्रोजन हब के विकास को बढ़ावा देना, हरित हाइड्रोजन गाँवों हेतु उपयुक्त गाँवों की पहचान करना तथा संबंधित राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से योजना एवं सरकारी भूमि के आवंटन में सुविधा प्रदान करना।

9.5 संबंधित राज्य प्राधिकरणों के माध्यम से जल संसाधनों की योजना एवं आवंटन में सुविधा प्रदान करना।

9.6 हरित हाइड्रोजन से संबंधित अनुसंधान एवं विकास तथा पायलट परियोजनाओं एवं ज्ञान हस्तांतरण हेतु सहयोग को सुगम बनाना।

9.7 हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स की मांग के एकत्रीकरण तथा मौजूदा ग्रे हाइड्रोजन का प्रमाणित हरित हाइड्रोजन से प्रतिस्थापन को ब्रेडा सुगम बनाएगा। विशेष रूप से उर्वरक एवं रिफाइनरी उद्योगों जैसे मौजूदा हाइड्रोजन खपत वाले क्षेत्रों में।

10. हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं के लिए पात्रता

10.1 पात्र इकाइयाँ:- कोई भी कंपनी, निगमित निकाय, संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो, सरकारी हो अथवा न्यायिक इकाई हो, इस नीति के अंतर्गत हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं की स्थापना हेतु पात्र होगी और उसे परियोजना विकासकर्ता माना जाएगा।

10.2 राज्य की सीमा के भीतर स्थापित हरित हाइड्रोजन और इसकी डेरिवेटिव्स परियोजनाएँ निम्नलिखित शर्तों का पालन करने पर इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी:

10.2.1 सभी हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाएँ नीति अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत एवं अनुमोदित की जायेगी।

10.2.2 परियोजनाओं में नए संयंत्र एवं मशीनरी का अधिष्ठापन शामिल होगा।

11. आवेदन प्रक्रिया

11.1 परियोजना विकास हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना:

सभी हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं के विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए ब्रेडा एकल संपर्क बिंदु होगा। पात्र विकासकर्ता इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना प्रस्ताव सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव ब्रेडा कार्यालय में ऑफलाइन भी जमा किए जा सकते हैं। इस नीति के

अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने और लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है:–

(i) परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

(ii) फर्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

(iii) पैन कार्ड एवं जीएसटी प्रमाण–पत्र

(iv) कम–से–कम एक वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न

(v) कम–से–कम एक वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट यदि लागू हो

(vi) स्टार्टअप इंडिया मान्यता प्रमाण–पत्र/उद्यम प्रमाण–पत्र/एनएसआईसी प्रमाण–पत्र/ संबंधित व्यवसाय में संलग्नता के संबंध में संबंधित उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

11.2 आवेदन शुल्क

ब्रेडा आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित शुल्क लेगी :–

क्र. सं.	इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता	प्रसंस्करण शुल्क
1	10 किलोवाट तक	`1,000/-
2	10 किलोवाट से अधिक एवं 100 किलोवाट तक	`2,000/-
3	100 किलोवाट से अधिक एवं 500 किलोवाट तक	`5,000/-
4	500 किलोवाट से अधिक एवं 1 मेगावाट तक	`10,000/-
5	1 मेगावाट से अधिक	`50,000/- प्रति मेगावाट, अधिकतम `5 लाख प्रति प्रस्ताव

12. भूमि की उपलब्धता

राज्य सरकार विकासकर्ताओं को भूमि उपलब्ध कराने में सहायता करेगी। सरकारी भूमि मौजूदा राज्य सरकार की नीति के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। यह भूमि अहस्तांतरणीय होगी। यदि आवंटन की तिथि से 06 (छह) माह के भीतर हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजना की स्थापना हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात् कार्य प्रारंभ नहीं होता है, तो राज्य स्तरीय सशक्त समिति में समीक्षा की जाएगी। यदि समिति कार्य की असंतोषजनक प्रगति के कारण भूमि वापस लेने की अनुशंसा करती है, तो भूमि अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को वापस कर दी जाएगी।

13. जल की उपलब्धता

विकासकर्ता प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक जल की मात्रा का आकलन करेगा और अनुमानित जल की खपत एवं प्रस्तावित जल स्रोत के बारे में विभाग को सूचित करेगा। इस जानकारी के आधार पर जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग जल की उपलब्धता एवं जल आवंटन की व्यवहार्यता का आकलन करेगा तथा जल उपलब्धता के आधार पर, स्थान–विशिष्ट सतत जल उपलब्धता का आकलन करने के बाद, विद्यमान प्राथमिक जल आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और लागू नियमों, विनियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार, निकटवर्ती उपलब्ध जल स्रोतों से हरित हाइड्रोजन एवं इसकी डेरिवेटिव्स परियोजनाओं को जल आवंटन में सुविधा प्रदान कर सकेगा। यदि उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन के लिए प्रस्तावित है, तो ऐसा आवंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा। जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन नदियों, जलाशयों, बैराजों, नहरों अथवा किसी अन्य स्त्रोत से जल निकासी के लिए पूर्व अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओसी0) आवश्यक होगा। जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन जल स्त्रोतों से जल की निकासी हेतु जल शुल्क समय–समय पर लागू सरकारी मानदंडों के अनुसार वसूल किया जाएगा। इसके अलावा जहाँ ताजे भूजल आवश्यक हो, परियोजना स्थल का चयन केवल उन्हीं ब्लॉकों/आकलन इकाइयों में किया जाएगा जो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सी0जी0डब्लू0बी0)की नवीनतम डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार "सुरक्षित श्रेणी" में आते हों।

जल स्रोत से परियोजना स्थल तक जलापूर्ति अवसंरचना के निर्माण, रखरखाव एवं संबंधित लागत का वहन पूर्णतः विकासकर्ता करेगा।

14. प्रोत्साहन

14.1 इलेक्ट्रोलिसिस आधारित हरित हाइड्रोजन एवं इसकी डेरिवेटिव्स परियोजनाएँ

14.1.1 इलेक्ट्रोलाइजर स्टैक की खरीद पर पूंजीगत व्यय का अधिकतम 20% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसमें एसी को डीसी में रूपांन्तरण हेतु आवश्यक रेक्टिफायर एवं ट्रांसफॉर्मर, जल के विखनिजीकरण/विआईनीकरण, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन शुद्धिकरण, संपीडन, हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन के लिए खरीदे गए आवश्यक उपकरण शामिल हैं। यह इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता के अनुपात में अधिकतम ₹1 करोड़/मेगावाट तक होगी।

14.1.2 राज्य में इस नीति की प्रभावी अवधि के भीतर किसी एक स्थान पर 50 मेगावाट तक की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता वाली उत्पादन इकाइयाँ, प्रथम 200 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता की सीमा के अधीन पूंजीगत व्यय प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।

14.1.3 एक लाभार्थी अधिकतम 50 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकता है।

14.2 बायोमास आधारित परियोजनाएँ

14.2.1 बायोमास के माध्यम से हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु उपकरणों की खरीद पर पूंजीगत व्यय का 20% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसमें प्री–ट्रीटमेंट इकाई, गैसीफिकेशन इकाई, सिनगैस क्लीनअप एवं कंडीशनिंग इकाई, हाइड्रोजन शुद्धिकरण एवं संपीडन उपकरण आदि शामिल हैं। यह प्रतिपूर्ति हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के अनुपात में प्रति टन प्रति वर्ष अधिकतम ₹ 1 लाख तक होगी। राज्य में इस नीति की प्रभावी अवधि के दौरान, प्रतिपूर्ति हेतु किसी एक स्थान पर अधिकतम 5 टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता तथा अधिकतम 5 ऐसी बायोमास आधारित हरित हाइड्रोजन परियोजनाएँ पात्र होंगी।

14.2.2 एक लाभार्थी को मिलने वाला अधिकतम प्रोत्साहन 5 टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन तक सीमित होगा।

14.3 पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति चार चरणों में होगी: प्रथम 25% उन घटकों के अधिष्ठापन पर दिया जायेगा जो पूंजीगत व्यय के विरूद्व प्रोत्साहन के पात्र है, दूसरा 25% हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेडिव्स के उत्पादन संयत्र के पूरी तरह चालू होने पर और वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर, तीसरा 25% वाणिज्यिक संचालन के प्रथम वर्ष में वार्षिक अनुबंधित हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स उत्पादन के 80% की उपलब्धि पर, तथा अंतिम 25% दूसरे वर्ष में वार्षिक अनुबंधित हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स उत्पादन के 90% की उपलब्धि पर दिया जायेगा। पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति से जुड़े सभी दावे, सभी जरूरी दस्तावेज पूर्ण रूप से जमा करने एवं उनके सत्यापन के 15 दिनों के अंदर संसाधित किये जाएगें।

14.4 उत्पादन आधारित प्रोत्साहन:

सभी पात्र हरित हाइड्रोजन उत्पादकों को सफल वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पाँच वर्षों के लिए उत्पादित हरित हाइड्रोजन पर ₹10 प्रति किलोग्राम की प्रतिपूर्ति मिलेगी, जिसकी सीमा अधिकतम ₹150 करोड़ तक है। उत्पादन इकाई द्वारा वाणिज्यिक संचालन नीति के प्रभावी अवधि के भीतर प्रारंभ होना चाहिए। इसके अलावा एक उत्पादक द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम प्रोत्साहन की राशि ₹35 करोड़ होगी।

14.5 खरीद आधारित प्रोत्साहन:

बिहार में जीएसटी प्राधिकरण के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत उद्योगों, जिसमें सिटी गैस वितरण ऑपरेटर शामिल हैं, को बिहार में स्थित परिचालन उत्पादन इकाइयों से हरित हाइड्रोजन खरीदने पर पहली खरीद की तिथि से 5 वर्षों के लिए ₹50 प्रति किलोग्राम की प्रतिपूर्ति मिलेगी। इस प्रोत्साहन की सीमा प्रति लाभार्थी ₹300 करोड़ तथा कुल ₹450 करोड़ होगी। पहली खरीद, नीति की प्रभावी अवधि में होनी चाहिए और प्रतिपूर्ति का वितरण खरीद से जुड़े वैध दस्तावेजों को जमा करने पर वार्षिक आधार पर होगी।

14.6 हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के साथ एकीकृत बीईएसएस परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय का 20% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹20 लाख/मेगावाट–आवर, इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता के प्रति मेगावाट पर अधिकतम 4.5 मेगावाट–आवर बीईएसएस क्षमता तक दी जाएगी। इस प्रोत्साहन के मद में कुल परिव्यय ₹180 करोड़ तक सीमित होगा। एक लाभार्थी अधिकतम 50 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता तक के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सकता है तथा इस नीति की प्रभावी अवधि के भीतर इस मद में प्रोत्साहन प्रथम 200 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता तक होगी।

14.7 नीति की प्रभावी अवधि में प्रथम 10 हरित हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों के लिए प्रति स्टेशन पूंजीगत व्यय का 10% प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा ₹1 करोड़ प्रति रिफ्यूलिंग स्टेशन होगी।

14.8 नीति की प्रभावी अवधि में प्रथम 100 हरित हाइड्रोजन आधारित यात्री बसों की खरीद हेतु प्रति वाहन पूंजीगत व्यय का 10% प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 लाख प्रति वाहन होगी।

14.9 नीति की प्रभावी अवधि में प्रथम 25 हरित हाइड्रोजन आधारित ऑन–रोड एवं ऑफ–रोड भारी वाहनों की खरीद हेतु प्रति वाहन पूंजीगत व्यय का 10% प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 लाख प्रति वाहन होगी।

14.10 राज्य में हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स की परियोजनाओं एवं उनसे जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं को बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की संवर्धन नीति 2025 के अनुसार निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे:

14.10.1 ओपन एक्सेसः– राज्य में हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं से संबंधित आरई परियोजनाओं को अंतर–राज्यीय ओपन एक्सेस की स्वीकृति दी जाएगी। डिस्कॉम/ट्रांसमिशन युटिलिटी को आवेदन पूर्ण रूप से समर्पित करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आरई परियोजनाओं को ओपन एक्सेस प्रदान किया जाएगा।

14.10.2 संचरण एवं व्हीलिंग शुल्कः– राज्य में विकसित आरई /कैप्टिव आरई परियोजनाओं से राज्य में हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स उत्पादन इकाइयों में विद्युत खपत हेतु अंतर राज्यीय संचरण पर संचरण एवं व्हीलिंग शुल्क में 100% छूट। यह छूट हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद 15 वर्षों के लिए दी जाएगी। संचरण एवं वितरण हानियाँ समय–समय पर संशोधित बीईआरसी विनियमों के अनुसार लागू होंगी।

14.10.3 एसटीयू शुल्कः- बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की संवर्धन नीति 2025 की परिचालन अवधि में राज्य में चालू किये गये आरई परियोजनाओं से विद्युत की खपत पर हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स उत्पादकों को एसटीयू शुल्क में छूट मिलेगी जो कैप्टिव या ओपन एक्सेस उपभोक्ता है और यह छूट समय–समय पर संशोधित बीईआरसी विनियमों के अनुसार दी जायेगी।

14.10.4 बैंकिंग शुल्कः- सभी कैप्टिव/ओपन एक्सेस हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स उत्पादकों को वर्ष के सभी 12 महीनों में 100% आरई बैंकिंग की अनुमति होगी। बैंकिंग शुल्क एवं अन्य प्रावधान समय–समय पर संशोधित बीईआरसी विनियमों के अनुसार होंगे।

14.10.5 विद्युत शुल्कः- इस नीति की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरांत हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स उत्पादकों को आरई परियोजनाओं से विद्युत खपत पर 15 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी।

14.10.6 क्रॉस–सब्सिडी अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभारः– राज्य में विकसित कैप्टिव/आरई परियोजनाओं से हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स उत्पादन हेतु आरई विद्युत की खपत की स्थिति में क्रॉस–सब्सिडी अधिभार एवं अतिरिक्त अधिभार संबंधित बीईआरसी विनियम के अनुसार लागू होंगे।

14.10.7 राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी):- हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं के विकास हेतु आवश्यक सामग्रियों पर एसजीएसटी भुगतान की 100% प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 5 वर्षों के लिए की जायेगी। यह प्रतिपूर्ति जीएसटी परिषद् की अनुशंसा के अनुसार होगी।

14.10.8 स्टाम्प शुल्कः- औद्योगिक भूमि/शेड के पट्टे/बिक्री/हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रीकरण शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति नई इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन के बाद मिलेगी, जिसमें बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अधिकारिता से बाहर की भूमि/शेड भी शामिल हैं। स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रीकरण शुल्क की यह प्रतिपूर्ति सिर्फ पहली

बार दी जायेगी एवं पट्टे/बिक्री/हस्तांतरण के बाद के चरणों में लागू नहीं होगी। यह प्रोत्साहन केवल भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 (1) तथा राज्य राजपत्र में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 78 के तहत नई इकाईयों को उपलब्ध होगा। यदि कोई मौजूदा इकाई अपना विस्तार करती है तो केवल नये विस्तारित हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के संयंत्र की स्थापना को नई इकाई माना जाएगा।

14.10.9 भूमि संपरिवर्तन शुल्कः– कृषि भूमि के गैर–कृषि उपयोग हेतु संपरिवर्तन पर लगाए गए भूमि संपरिवर्तन/भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद, बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अनुसार होगी।

14.11 दावे और/अथवा परियोजना क्रियान्वयन में विसंगति, गलत प्रस्तुतीकरण या गैर–अनुपालन मिलने पर विकासकर्ता के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रोत्साहन की वसूली, दंड अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा आवश्यक और उचित समझी जानेवाली कोई अन्य कार्रवाई शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

14.12 एक ही पात्र व्यय/लागत घटक के लिए दो राज्य नीतियों के अंतर्गत दोहरे प्रोत्साहन नहीं मिलेंगे, सिवाय जहाँ विशेष रूप से अनुमति दी गई हो।

15. इलेक्ट्रोलाइजर एवं उपकरण विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन

हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु इलेक्ट्रोलाइजर एवं अन्य उपकरण (जैसा लागू हो) की विनिर्माण सुविधाएँ बिहार में स्थापित करने वाले निर्माता बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025, तथा राज्य सरकार की अन्य नीतियों एवं उनके संशोधनों के प्रावधान के अनुसार प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

16. विनियामक प्रावधान

16.1 हरित हाइड्रोजन उत्पादकों को लागू प्रदूषण सूचकांक/श्रेणी की घोषणा के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे वर्गीकरण के आधार पर तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार, निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों एवं वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन, सक्षम प्राधिकार द्वारा स्थापना की सहमति एवं संचालन की सहमति जारी की जाएगी।

16.2 भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 17 फरवरी 2022 को अधिसूचित हरित हाइड्रोजन नीति के अनुसार, हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन में प्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के आरपीओ अनुपालन में गिना जाएगा। उत्पादक के दायित्व से अधिक

इस्तेमाल की गई नवीकरणीय ऊर्जा उस डिस्कॉम के आरपीओ अनुपालन में गिनी जाएगी जिसके क्षेत्र में परियोजना स्थित है।

16.3 सभी हरित हाइड्रोजन उत्पादकों को एमएनआरई, भारत सरकार की 29 अप्रैल 2025 की "भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना" तथा उसके संशोधनों के अनुसार प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।

16.4 सभी हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स उत्पादकों को उत्पादन, भंडारण सुविधाओं, परिवहन अवसंरचना, पाइपलाइनों, प्रेशर वेसल्स तथा हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा।

16.5 ब्रेडा राज्य सरकार से विधिवत अनुमोदन प्राप्त करने के बाद नीति के कार्यान्वयन हेतु नियम, दिशा–निर्देश एवं विस्तृत प्रक्रिया तैयार करेगा।

17. प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण हेतु कार्यान्वयन प्रक्रिया

17.1 ब्रेडा हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं के विकास हेतु आवेदनों के प्रसंस्करण में सहायता करेगा।

17.2 विकासकर्ताओं से प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन हेतु निदेशक, ब्रेडा की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति गठित की जाएगी।

17.3 इस नीति के अंतर्गत गठित संबंधित समितियाँ प्रस्तावों को अनुमोदित करेंगी, प्रोत्साहनों की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करेंगी, उचित एवं दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित मामलों में वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से संबंधित रूपांतरणों को अनुमोदित करेंगी तथा नीति की प्रभावी अवधि के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अन्य विषयों पर निर्णय लेंगी।

18. राज्य स्तरीय सशक्त समिति एवं उत्तरदायित्व

मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति गठित की जाएगी।

18.1 जो इस नीति के क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाओं को दूर करने, समय–समय पर उत्पन्न होने वाले अंतर–विभागीय मुद्दों का समाधान करने तथा कोई रणनीतिक निर्णय लेगी।

18.2 बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के अंतर्गत सभी गतिविधियों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना। एसएलईसी प्रगति का अनुश्रवण करने तथा नीति के कार्यान्वयन में उत्पन्न किसी अस्पष्टता, विवाद, मतभेद या समस्या पर निर्णय लेने हेतु अर्धवार्षिक रूप से बैठक करेगी। ब्रेडा राज्य में सभी हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एसएलईसी को अर्धवार्षिक आधार पर प्रस्तुत करेगा।

18.3 यदि किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत आवंटित वित्तीय प्रोत्साहन निर्धारित समयसीमा में अप्रयुक्त रहता है या उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो एसएलईसी को इस नीति के अंतर्गत अन्य पात्र प्रोत्साहन शीर्षों में ऐसे अप्रयुक्त आवंटन को पुनर्विनियोजित करने का अधिकार होगा, ताकि उपलब्ध निधियों का इष्टतम उपयोग एवं नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

राज्य स्तरीय सशक्त समिति के सदस्य

क्र.सं.	पद	भूमिका
1	मुख्य सचिव, बिहार सरकार	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य एवं संयोजक
3	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
12	कार्यकारी निदेशक, आईओसीएल बरौनी	सदस्य
13	निदेशक, आई0आई0टी0 पटना	सदस्य
14	निदेशक, एन0आई0टी0 पटना	सदस्य

19. राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति एवं उत्तरदायित्व

19.1 बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी।

19.2 अनुमोदन:

19.2.1 हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं के प्रस्ताव।

19.2.2 पूंजीगत व्यय आधारित प्रोत्साहनों, एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से संबंधित प्रोत्साहनों, हरित हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स परियोजनाओं के उत्पादन–आधारित एवं खरीद–आधारित प्रोत्साहनों तथा नीति में उल्लिखित अन्य प्रोत्साहनों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति।

19.2.3 इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण इकाइयों के प्रस्ताव।

19.3 एसएलएससी कम–से–कम हर तीन माह में एक बार बैठक करेगी ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके, परियोजना अनुमोदनों पर निर्णय लिया जा सके तथा सभी हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं एवं संबंधित आरई परियोजनाओं के लंबित मामलों की समीक्षा की जा सके।

19.4 ब्रेडा सभी हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं एवं संबंधित आरई परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत करेगा।

राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति के सदस्य :

क्र. सं.	पद	भूमिका
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	अध्यक्ष
2	निदेशक, ब्रेडा।	सदस्य एवं संयोजक
3	प्रबंध निदेशक, एन0बी0पी0डी0सी0एल0	सदस्य
4	प्रबंध निदेशक, एस0बी0पी0डी0सी0एल0	सदस्य
5	प्रबंध निदेशक, बी0एस0पी0टी0सी0एल0	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
11	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
14	निदेशक, आई0आई0टी0 पटना	सदस्य
15	निदेशक, एन0आई0टी0 पटना	सदस्य

20. नीति की समीक्षा एवं संशोधन

बिहार सरकार इस नीति की समीक्षा कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर इसमें जरूरी बदलाव कर सकेगी। ऐसा तकनीकी प्रगति देखते हुए या इस नीति को लागू करने में आने वाली किसी मुश्किल को दूर करने के लिए या भविष्य में भारत सरकार अथवा बिहार सरकार के किसी अधिनियम, नियम एवं विनियम या किसी दूसरी नीति के साथ कोई विसंगति उत्पन्न होने पर कर सकेगी।

21. इस नीति के प्रावधानों तथा बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों की संवर्धन नीति 2025 के प्रावधानों के बीच किसी असंगति या विरोध की स्थिति में, ऐसी असंगति की सीमा तक बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 के प्रावधान प्रभावी होंगे।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/ऊर्जा ब्रेडा–08/2026– 5098 /पटना, दिनांक– 08.10.2026

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र के प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/ऊर्जा ब्रेडा–08/2026– 5098 /पटना, दिनांक– 08.10.2026

प्रतिलिपिः–सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/ऊर्जा ब्रेडा–08/2026– 5098 /पटना, दिनांक– 08.10.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(ले0 एवं हक), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/ऊर्जा ब्रेडा–08/2026– 5098 /पटना, दिनांक– 08.10.2026

प्रतिलिपिः–राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ऊर्जा के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।